छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 160/2006</u>

श्री हेमन्त शर्मा, ... अपीलार्थी
अधिवक्ता,
मकान नं. 4,
स्टेट बैंक कालोनी,
सुंदरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
कुलसचिव,
पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(10 अगस्त 2006)

अपीलार्थी श्री हेमन्त शर्मा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी, कुलसचिव, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को आवेदन पत्र दिनांक 10–1–2006 प्रस्तुत कर कतिपय जानकारी चाही गई थी। निर्धारित समयावधि में जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को जानकारी नहीं उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आवेदक द्वारा दिनांक 21–2–2006 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में अपील का निराकरण न करने के फलस्वरूप अपीलार्थी के द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, कुलसचिव, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को आवेदन पत्र दिनांक 10–1–2006 प्रस्तुत कर वित्त विभाग में पदस्थ लिपिक श्री हेमन्त कुमार शर्मा द्वारा कर्मचारी संघ के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं क्रीड़ा हेतु 2003–2004 हेतु 40,000/– रूपए के अग्रिम के समायोजन तथा विश्वविद्यालय को व्यय का पूर्ण लेखा–जोखा दिये जाने के संबंध में जानकारी चाही थी। वांछित जानकारी समय पर आवेदक को प्रदान नहीं की गई। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण समयावधि में नहीं हुआ। अतः अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

आयोग के द्वारा सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। समय पर जानकारी न देने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत सूचना अधिकारी

को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उनके विरूद्ध रूपए 10,000/– का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलसचिव के द्वारा बताया गया कि वित्त अधिकारी श्री के. एल.कश्यप को सूचना अधिकारी घोषित किया गया है। श्री कश्यप ने दिनांक 10–7–2006 को आवेदक को जानकारी प्रदान की कि प्राकृतिक आपदा वर्ष 2004–2005 में श्री हेमंत शर्मा के द्वारा कोई अग्रिम नहीं लिया गया था। श्री हेमंत शर्मा के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं क्रीड़ा हेतु अग्रिम लिया गया था, जिसका समायोजन 23–5–2006 को हो चुका है। श्री शर्मा ने 2003–2004 में रूपए 40,000/– का अग्रिम लिया था। अपीलार्थी ने बहस में बताया कि पहली जानकारी उसको नहीं दी गई तथा समुचित आदेश पारित नहीं किया गया। दिनांक 31–7–2006 को जो जानकारी दी गई है, उसमें मद तो बताये गये हैं, किन्तु प्रत्येक मद में कितना व्यय हुआ वह नहीं बताया गया है। अतः वह जानकारी एक सप्ताह में देने के निर्देश दिये जाते हैं।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर जानकारी देने में विलंब किया गया है अथवा गलत जानकारी दी गई है। अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण में अर्थदण्ड दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः आदेश दिनांक 26–6–2006 के अनुसार जारी किये गये कारण बताओ नोटिस को निरस्त किया जाता है। किन्तु यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में अधूरी जानकारी देने के कारण शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में 500/– रूपए (पांच सौ रूपए मात्र) का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत किया जावे। अपीलार्थी की अपील का निराकरण उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त